न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा

भूमि सत्यापन अभिलेख सं0.....316...../2022

01.12.2022

आवेदक राम प्रसाद सोनी पिता–मनालाल सोनी, साकिन–महाराणा प्रताप चौक, तिलैया, पोस्ट–झुमरी तिलैया, थाना–तिलैया, जिला–कोडरमा द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है:–

मौजा	थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	किस्म
झलपो	01	18	30	0.21 डी0	रैयती

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराए एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इस्तहार निर्गत करे।

अभिलेख दिनांक ....09..../.....12...../2022 को प्रस्तुत करें।

09/12/22

अंचल अधिकारी,
कोडरमा

9.12.2022

अभिलेख उपस्थापित।

आम इस्तहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–झलपो, थाना नं0–01, खाता सं0–18, प्लॉट सं0–28 रकवा–05 डी0 प्लॉट सं0–30, रकवा–12 डी0 कुल रकवा–17 डी0 भूमि पूरन देवी पति मनालाल सोनी के नाम से पंजी–II के पृष्ठ सं0–26 भाग सं0–18 पर जमाबन्दी दर्ज है। प्राधिकार क्षेत्र में विविध वाद सं0–01/ 2022–23 दर्ज है। उक्त भूमि केवाला सं0–10909 दिनांक–16.12. 1965 द्वारा प्राप्त है। भूमि रैयती खाते की है। लगान रसीद वर्ष–2022–23 तक निर्गत है। शपथ पत्र सं0–25 दिनांक–04.09.2022. (नोटिस पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है। मौजा–झलपो, थाना नं0–01, खाता सं0–18, प्लॉट सं0–30 रकवा–0.21 डी0 भूमि निबंधन हेतु स्वीकृति दी जा सकती है।

अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि मौजा–झलपो, थाना नं0–01, खाता सं0–18, प्लॉट सं0–30 रकवा–0.21 डी0 भूमि निबंधन योग्य है। यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts 1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामांतरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय का सुरक्षित रखेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैघ आपत्ति होती है तो विधि सम्मत निर्गय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।

09/12/22

अंचल अधिकारी,
कोडरमा

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2023.01.07 16:37:05 +05:30
Location: 192.168.29.246